

8. शैक्षिक योग्यता :-

9. तकनीकी योग्यता :-

10. आवेदक की श्रेणी :- सामान्य / ओ.बी.सी. / एस.सी. / एस.टी. / अल्पसंख्यक / महिला / भूतपूर्वैनिक / विकलांग / महिला

11. प्रस्तावित परियोजना :-

उत्पादन कार्य		सेवा कार्य	
---------------	--	------------	--

12. उद्योग का नाम :-

13. जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डी.एल.टी.एफ.सी.) से चयन का

क्रमांक - बैठक की तिथि

14. प्रस्तावित ऋण की धनराशि :-

भवन स्वयं / किराये पर	पूँजीगत ऋण		कार्यशील पूँजी	योग
	वर्कशेड / भवन	मशीन / संयंत्र		

15. प्रमाणित किया जाता है मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें सत्य हैं एवं संलग्न अभिलेख जिनका विवरण निम्नवत है। उनको भी प्रमाणित किया जाता है।

दिनांक :-

संलग्न :- (आधार कार्ड की प्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो), प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र (प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए), प्रस्तावित योजना की रूपरेखा, कार्य स्थल सम्बन्धी अभिलेख एवं फोटो आदि।)

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-

- सभी श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 5: अंशदान स्वयं वहन करना होगा।
- उत्पादन तथा सेवा कार्य हेतु इकाई की परियोजना लागत किसी भी दशा में रु0 25.00 लाख से अधिक नहीं होगी।
- किसी भी आवेदक को योजना में निर्धारित स्वयं के अंशदान से अधिक की धनराशि पर अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान देय नहीं होगा।
- आवेदक द्वारा ऋण आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर स्वयं के प्रमाणित प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे।
- आवेदक द्वारा रु0 15.00 लाख से ऊपर की परियोजना के साथ शैक्षिक / तकनीकी शिक्षा का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(जिला स्तरीय कार्यदल के विचारार्थ प्रस्तुत अथवा (यदि उद्यमी पात्र नहीं है तो अस्वीकृत का कारण)

स्थान :-

दिनांक :-

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी